अंगदान :

ब्रेन डेथ की स्थिति में जो अंगदान किया जा सकता है-कॉर्निया, लीवर, हड्डी, हृदय, किडनी, त्वचा आदि । **ब्रेन डेथ का अर्थ**-शरीर की वैसी अवस्था जिसमें मस्तिष्क ने काम करना बंद कर दिया है लेकिन शरीर के अन्य अंग अभी भी वेंटिलेटर पर काम कर रहे हैं । ब्रेन डेथ घोषित करने की प्रक्रिया थोड़ी जटिल है परंतु इसकी घोषणा ब्रेन डेथ कमिटी करती है । ध्यान रखें कि दुर्घटना की स्थिति में अंगदान की स्थिति ज्यादा अनुकूल है । स्वाभाविक मृत्यु में नेत्र के अलावा अन्य अंगों का दान संभव नहीं है ।

देहदान (कैडेवर) :

अपने मृत शरीर को चिकित्सकीय अनुसंधान के लिए अंतिम इच्छा (Last will) या संकल्प पत्र भरकर मृत्यु के पश्चात मृत शरीर को चिकित्सकीय अनुसंधान के लिए सौंपना ही देहदान है । चिकित्सा विज्ञान के विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हेतु एक मृत शरीर की आवश्यकता होती है । बिना कैडेवर के मेडिकल छात्रों की पढ़ाई अधूरी है । आप देहदान का संकल्प करके मानव कल्याण के लिए अपना जीवन सार्थक कर सकते हैं ।

नेत्रदान/अंगदान हेतु संकल्प लें :

1. आप जीवनकाल में नेत्रदान/अंगदान का संकल्प पत्र भरकर अपने स्वीकृति दे सकते हैं ताकि मृत्युपरांत आपके परिवार द्वारा संकल्प को पूरा किया जा सके ।
2. कोई भी व्यक्ति-चाहे वो किसी भी उम्र, लिंग, जाति, धर्म का हो, वह अंगदान कर सकता है ।
3. यदि वह 18 वर्ष से कम का है तो उसके माता/पिता या कानूनी अभिभावक की सहमति आवश्यक है ।
4. नेत्रदान/अंगदान हेतु संकल्प पत्र भरने के लिए निम्नलिखित अर्हताएं आवश्यक हैं ।
   (क) स्वयं का संकल्प
   (ख) संकल्पकर्त्ता का दो फोटो
   (ग) आधार की छायाप्रति
   (घ) दो गवाहों की सहमति जो संकल्पकर्ता से रक्त सम्बन्ध हो ।
   (ङ) गवाहों का आधारकार्ड
   (च) नेत्र/अंगदान/देहदान हेतु संकल्प पत्र दधीचि देहदान समिति से प्राप्त किया जा सकता । अब तो संकल्प पत्र वेवसाईट पर भी उपलब्ध है ।
   (छ) संकल्प-पत्र पाने के बाद समिति एक सम्मान पत्र आपको प्रेषित करती है ताकि संकल्प का स्मरण रहे ।

विनम्र निवेदन :

आइए ! इस देहदान/अंगदान यज्ञ को सार्थक एवं सकारात्मक प्रयास की आहुति देकर मानवीय संवेदना के प्रति लोगों को जागृत करें । मृत्युपरांत देहदान-अंगदान का संकल्प करके जरूरतमंद लोगों को दृष्टि, जीवन प्रदान कर व योग्य चिकित्सकों को निर्माण में सहयोग देकर आप महादानी बनें, यही दधीचि देहदान समिति का विनम्र निवेदन है ।

रोग	अंग	समय सीमा
हृदय विफलता	हृदय	4-6 घंटा
फेफड़े की बीमारी	फेफड़ा	4-8 घंटा
गुर्दे की विफलता	गुर्दा	24-48 घंटा
यकृत की विफलता	यकृत	12-15 घंटा
मधुमेह	अग्नाशय	12-24 घंटा
दृष्टिहीनता	नेत्र	6-7 घंटा
हृदय वाल्व रोग	हृदय वाल्व	5-6 घंटा
गंभीर रूप से जलना	त्वचा	

जागरूकता अभियान की तस्वीरें

मानवता के लिए देहदान-अंगदान

अंगदान
दधीचि
देहदान
समिति
बिहार

मृत्यु को जीवन का अंत न बनायें,
उठायें कदम-करें संकल्प
अंगदान का चुने विकल्प

“ जीते जी रक्तदान
मृत्यु के बाद
अंगदान/नेत्रदान ”

“जीते जी
रक्तदान
मरणोपरांत
अवयवदान नेत्रदान”

पंजीकृत कार्यालय :
आर्य भवन, खाजपुरा, बेली रोड, पटना-800 014
मो०-8084053399, 9431017530, 9431020110
e-mail : dddsbihar@gmail.com
dadhichi dehdan samiti, bihar
+918084053399
website : www.dadhichidehdansamitibihar.com

ONE ORGAN DONER CAN SAVE EIGHT LIVES

मानव शरीर नश्वर है। मृत्यु के बाद भी आपके शरीर के अंग दूसरे के माध्यम से संसार को महसूस कर सकते हैं। यदि आप मरणोपरांत अपनी आंख दान देने का संकल्प लेते हैं तो आपकी आंखे किसी नेत्रहीन को जीने का सहारा बन सकती है।

अत: आज ही नेत्रदान करने का संकल्प लेकर भारत से अंधापन दूर करने का प्रयास करे। दधीचि देहदान समिति इस प्रयास में अग्रसर है तथा राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी भूमिका निभाने में प्रयासरत है।

गंगा प्रसाद
महामहिम राज्यपाल, सिक्किम
सह अध्यक्ष दधीचि देहदान समिति, बिहार

दानवीर मनीषियों में महर्षि दधीचि श्रेष्ठतम हैं जिन्होंने देवताओं द्वारा मांगे जाने पर अपना शरीर सहर्ष दान कर दिया ताकि देवासुर संग्राम में दानवों को हराने हेतु उनकी हड्डियों से वज्र नामक अजेय शस्त्र बनाया जा सके। मित्रों ! हमारे देह की नश्वरता सर्वविदित है। पाँच तत्वों से निर्मित यह शरीर अपनी आयु पूरी करने के बाद मृत हो जाता है, किन्तु इसके बाद भी हम अपने शरीर और इसके विभिन्न अंगों को दान करके पीड़ित जरूरतमंद लोगों की जान बचाकर इसकी उपयोगिता सिद्ध कर सकते हैं।

आइये ! संकल्प लें ताकि जरूरतमंद लोगों को नई जिन्दगी मिल सके।

सुशील कुमार मोदी
उप-मुख्यमंत्री, बिहार
सह मुख्य संरक्षक दधीचि देहदान समिति, बिहार

जीवन की दूसरी पारी अमरत्व को प्राप्त हो सकती है, आप नेत्रदान/अंगदान कर पीड़ित जरूरतमंद के जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। एक जानवर मृत्यु के बाद भी अपने अंगों से मानवता की सेवा करता है। हम तो मानव हैं, हम मात्र आकृति से नहीं; प्रकृति से मनुष्य बनें।

रहता हूँ किराये की काया में; रोज सांस बेचकर किराया चुकाता हूँ
मेरी औकात है बस मिट्टी जितनी, बातें मैं महल और मिनारों कर जाता हूँ,
जल जायेगी ये मेरी काया एक दिन, फिर भी इसकी खूबसूरती पर इतराता हूँ
मुझे पता है–मैं खुद के सहारे श्मशान तक भी नहीं जा सकुंगा,
इसलिए जमाने में दोस्त बनाता हूँ।

बिमल जैन
महसचिव

अंगदान की आवश्यकता

मानव शरीर नश्वर है। मृत्यु के बाद भी आपके शरीर के अंग दूसरे के माध्यम से जीवंत महसूस करते हैं। आज के वैज्ञानिक युग में किसी मृत व्यक्ति के शरीर के विभिन्न अंगों को किसी अन्य जरूरतमंद व्यक्ति के शरीर में प्रत्यारोपित कर उसे नया जीवन दिया जा सकता है। यदि आप मरणोपरांत अपनी आंख दान देने का संकल्प लेते हैं तो आपकी आंखें किसी नेत्रहीन के जीने का सहारा बन सकती है। इसी प्रकार आपके शरीर का एक-एक अंग किसी जरूरतमंद को नया जीवन दे सकता है। न सिर्फ बिहार में बल्कि देशभर में लाखों मरीज अलग-अलग बीमारियों की वजह से यातनापूर्ण जीवन को मजबूर हैं तथा उनके परिजन अथाह पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं। आपके एक निर्णय से ऐसे मरीजों को न सिर्फ जीवन जीने का एक और मौका मिल सकता है बल्कि उनके परिजनों के चेहरों पर खुशी लौट सकती है।

आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक दानकर्ता अपने शरीर के विभिन्न अंगों-नेत्र, हृदय, ब्लड वेसल्स, हड्डी, त्वचा, मांसपेशियां, टेंडन्स, यहां तक कि चेहरा एवं उंगलियों का दान कर 100 लोगों के जीवन को बचा सकता है। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 2 लाख लोग दिल, आंत, लीवर किडनी जैसी बीमारी से मरते हैं जिनका अंगदान से जीवन बचाया जा सकता है। 2012-13 के एक रिपोर्ट के अनुसार 2012-13 में पूरे देश में 4143 कॉर्निया उपलब्ध था जबकि प्रत्येक वर्ष 80,000 से 100000 कॉर्निया की जरूरत होती है।

बिहार भारत के अन्य राज्यों से नेत्रदान/ अंगदान के मामले में काफी पीछे है। दधीचि देहदान समिति, पटना इस प्रयास में अग्रसर है कि बिहार इस क्षेत्र में देश स्तर पर अग्रणी भूमिका निभाए।

नेत्रदान–

- नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की मृत्यु के 6 घंटे के अन्दर नेत्रदान किया जा सकता है। नेत्रदान हेतु उम्र की कोई सीमा नहीं है। बच्चे से लेकर वृद्ध तक नेत्रदान कर सकते हैं। मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराये हुए, मोटा पावर के चश्मा वाले व्यक्ति, सुगर के मरीज सभी नेत्रदान कर सकते हैं।
- नेत्रदान की प्रक्रिया में 10-15 मिनट का समय लगता है और शरीर को कोई क्षति नहीं होती।
- नेत्र का कॉर्निया लेने का कार्य सरकारी अस्पताल का नेत्र अधिकोष (आई बैंक) ही कर सकता है। नेत्रदान से 3 नेत्रहीनों को दृष्टि मिल सकती है।
- नेत्रदान का संग्रह नेत्र अधिकोष की टीम मृतक के घर जाकर भी करती है।

आई बैंक क्या है ?

आई बैंक एक सरकारी संस्था है जो दान की गई आँख को एकत्र करके उसको सुरक्षित रख-रखाव एवं वितरण की प्रक्रिया का सुनिश्चित करता है। जिससे कॉर्निया का प्रत्यारोपण एवं शोध किया जा सके।

बिहार में नेत्रदान लेने की सुविधा :

1. **इंदिरा गांधी आर्युविज्ञान संस्थान,** शेखपुरा पटना में नेत्र अधिकोष (Eye Bank)
   दूरभाष : 0612-2297099/2297631
   मोबाईल : 8544413012
   e-mail : eyebankbihar@igims.org
2. **पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में,** नेत्र विभाग के अन्तर्गत नेत्र अधिकोष (Eye Bank)
   0612-2300462/2300469
3. कुछ महीनों में भागलपुर, गया, दरभंगा मेडिकल कॉलेज में यह सुविधा प्रारंभ होनेवाली है।

उपलब्धि : अभी तक इंदिरा गांधी आर्युविज्ञान संस्थान के नेत्र अधिकोष द्वारा 423 नेत्रदान तथा पटना मेडिकल कॉलेज अधिकोष द्वारा 21 नेत्रदान हुआ है। तथा पूरे बिहार में कुल 3 देहदान हुआ है।